न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 16/2021

1. राजेन्द्र कुमार उम्र 58 वर्ष पुत्र मालीराम जाति जांगिड़ निवासी वार्ड न0 20 मलसीसर
2. ऊषा पुत्री मालीराम जाति जांगिड़ निवासी वार्ड न0 20 मलसीसर
3. सुमित्रा पुत्री मालीराम जाति जांगिड़ निवासी वार्ड न0 20 मलसीसर
4. सुलोचना पुत्री मालीराम जाति जांगिड़ निवासी वार्ड न0 20 मलसीसर

आवेदक

बनाम

1. सरबती पत्नी नोरंग जाति कुम्हार निवासी राजगढ़ बाई पास मलसीसर
2. बाबूलाल पुत्र नोरंग जाति कुम्हार निवासी राजगढ़ बाई पास मलसीसर
3. रामनिवास पुत्र नोरंग जाति कुम्हार निवासी राजगढ़ बाई पास मलसीसर
4. संजु पुत्री नोरंग जाति कुम्हार निवासी राजगढ़ बाई पास मलसीसर
5. राजु पुत्री नोरंग जाति कुम्हार निवासी राजगढ़ बाई पास मलसीसर
6. प्रहलाद पुत्र गीदा जाति कुम्हार निवासी राजगढ़ बाई पास मलसीसर
7. इमरान पुत्र हाजी रमजान जाति व्यापारी निवासी मलसीसर
8. हासमअली पुत्र हाजी रमजान जाति व्यापारी निवासी मलसीसर
9. आबीदा पुत्री हाजी रमजान जाति व्यापारी निवासी मलसीसर
10. हबीब पुत्र हाजी रमजान जाति व्यापारी निवासी मलसीसर
11. सलीम पुत्र हाजी रमजान जाति व्यापारी निवासी मलसीसर
12. समीना पुत्री हाजी रमजान जाति व्यापारी निवासी मलसीसर
13. मासुम पुत्री हाजी रमजान जाति व्यापारी निवासी मलसीसर
14. नजमा पुत्री हाजी रमजान जाति व्यापारी निवासी मलसीसर
15. जाईदा पुत्री हाजी रमजान जाति व्यापारी निवासी मलसीसर
16. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा मलसीसर तहसील मलसीसर जरिये शाखा प्रबंधक
17. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर

अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

निर्णय दिनांक 02.03.2022

संक्षेप मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम मलसीसर पटवार हल्का मलसीसर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 158 रकबा 0.02 है0 तथा ख0न0 159 रकबा 2.52 है0 कुल किता दो कुल रकबा 2.54 है0 आवेदकगण की सह खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। जिसमें आने–जाने हेतु कोई रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी काश्तकारी भूमि के पश्चिम में ख0न0 160 अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 तथा ख0न0 160/1128 अप्रार्थी संख्या 6 की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। ख0न0 157 अप्रार्थीगण 7 लगायत 15 की सह खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। खसरा नम्बर 157 व 160/1128 मलसीसर से राजगढ़ जाने वाली सड़क

र स्थित है। मलसीसर से राजगढ़ सड़क से प्रार्थी के खेत की दुरी दोनो खसरा नम्बर में लगभग समान है। इसके अतिरिक्त आवेदक के खेत में आने जाने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अन्त में प्रार्थी को खेत खसरा नम्बर 158, 159 में आने–जाने के लिये खेत खसरा नम्बर 157 अथवा ख0न0 160, 160/1128 में से 15 फीट रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो उतर देने के लिए निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर जवाब पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। साथ ही तहसीलदार मलसीसर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के प्रावधानों के तहत मौका जांच कर रिपोर्ट चाही गई। अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 15 की ओर से कोई उपसंजात नहीं हुआ। पक्षकारान को नोटिस विधिवत तामिल होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपसंजात नहीं होते है तो यह मानकर कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार सिद्वि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अनावेदकगण संख्या 1 व 15 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हें EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुये धारा 251ए के प्रावधानों के प्रकाश में तहसीलदार मलसीसर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार रास्ता उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया। साथ में कथन किया कि इसके अतिरिक्त आवेदक के खेत में आने जाने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रास्ते की अत्यातिंक आवश्यकता है। प्रार्थी डी.एल.सी दर से भुगतान करने को समहत है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

तहसीलदार मलसीसर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 24.02.2022 का अवलोकन किया गया तहसीलदार मलसीसर ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि मौके पर खसरा नम्बर 156/1133 व 156/1132 के मध्य से होते हुये ख0न0 157 में से लगता हुआ रास्ता मौके पर सबसे नजदीक है जिसकी लम्बाई 110 मीटर है। मौके पर ख0न0 156/1133 व 156/1132 के मध्य से पहले से रास्ता चल रहा है। अतः ख0न0 159 में जाने हेतु ख0न0 157 में 110 मीटर लम्बे व 04 मीटर चौड़ा रास्ता दिया जा सकता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पष्ट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहूंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौड़ा करना चाहता है" – और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधरी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि –

3. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और
4. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहूंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सींमाकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लधुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भाग को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नय मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक को अपनी खातेदारी काश्तकारी भूमि में आने जाने हेतु अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार मलसीसर की जांच रिपोर्ट से होती है है साथ ही न्यूनतम मार्ग दिये जाने का प्रावधान है। तहसीलदार मलसीसर ने अपनी रिपोर्ट में आवेदक द्वारा चाहा गया मार्ग 110 मीटर लम्बा होना बताया है। जो सलंग्न नजरी नक्शे के अनुसार लधुतम प्रतीत होता है। अतः तमाम साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को खेत खसरा नम्बर 159 में आने–जाने के लिये खेत खसरा नम्बर 157 में तहसीलदार मलसीसर की मौका रिपोर्ट में दर्शित 110 मीटर लम्बा 4 मीटर चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार मलसीसर को निर्देशित किया जाता है कि रास्ते में आने वाली भूमि की डी.एल.सी. की दर से राशि आवेदक से वसूल कर अनावेदकगण को दी जावे। तदनुसार राशि जमा होने पर रास्ता राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता कायम किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साधुराम जाट) 02/3/22
उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर